

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर
भइजलास पीठारीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मेहबूब पुत्र अलाबक्स जाति मुसलमान मेवासी भइला तहसील बाप जिला जोधपुर।		1. तहसीलदार बाप 2. मैसर्स सुर्या उर्जा कम्पनी ऑफ राजरथान लि. आर-20 युधिष्ठिर मार्ग जयपुर हॉल भइला तह.बाप

राजरव वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजरथान काश्तकारी अधिनियम
एवं धारा 14 (4) राजरथान गू-राजरव अधिनियम
राजरव प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दमा नम्बर :- 102/2018

स्थित अधिवक्ता :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी वादीगण एवं अप्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 15.09.2020

निर्णय

वादी के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादी की खातेदारी की खसरा नं 124 रकबा 3157.02 बीघा में से 45 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा भइला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट और सेटलमेंट से पहले से ही वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादी के पूर्वज जदरी करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 124 रकबा 3157.02 बीघा में से 45 बीघा भूमि उनके नाम राजरव रेकॉर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पर वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढ़ियों से चला आ रहा था उन्होंने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादी ने उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों ओर खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादी उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल गिसल किया गया।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से वेदखल किया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद


पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इसी पर खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कि वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर पीड़ियों से पुराना कब्जा नकारत है और वर्तमान वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उपनिवेशन लागू होते हैं और उपनिवेशन नियमों तहत सरकारी भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को कब्जा अनुसार खातेदारी दिये जाने के नियम हैं। वादी के नाम से समय समय पर खसरा तहसील पी-14 भी तैयार की गई है। जिससे साबित होता है कि वादीगण उक्त भूमि पर पर उत्तारू थे इसलिए उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस से प्रार्थना पत्र पेश किया था। उक्त वाद में सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश है जो उक्त वाद में लागू नहीं होता है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आवेजात का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अध्ययन किया गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादी द्वारा राजकीय वाद भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत है। प्रार्थी तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादी) अतिक्रमी है वादी अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है। प्रार्थी का वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार अनुलोष प्राप्ति हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विनम्र में सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादी खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा है कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चों तथा अनेक क्रियाओं के विचारन से होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृत्ति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को खारिज किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त प्रकरण में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोचित तथा दस्तावेजी दस्तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार हांकर नम्वर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 15.01.2020 को सुनाया गया।


(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप जोधपुर

